भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषिएवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 325

21 दिसम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

विषय:- प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना

***325. श्री राजकुमार चाहर:**

सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के आरंभ होने के उपरांत किसानों को आज तक वर्ष-वार कितनी धनराशि संवितरित की गई है;

(ख) क्याराज्यों द्‌वारा आरंभ किए गए इसी प्रकार के अन्य कोई कार्यक्रम हैं जो इस कार्यक्रम को संपूरित करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के लाभों से वंचित किसानों को ये लाभ किस प्रकार प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त लाभ कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना" के संबंध मेंदिनांक 21.12.2021 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 325 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): पीएम-किसान योजना के तहत 8 दिसंबर, 2021 तक 11.61 करोड़ से अधिक किसानों को विभिन्न किस्तों के माध्यम से लगभग1.61 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

पीएम-किसान योजना की शुरुआत से लेकर8दिसंबर, 2021 तक इसके तहत संवितरित की गई धनराशि का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	संवितरित की गई राशि(करोड रुपए में)
1.	2018-19	6,005.48
2.	2019-20	4,91,96.38
3.	2020-21	6,10,91.01
4.	2021-22 (8दिसंबर, 2021तक)	45,249.81
सकल योग		**1,61,542.68**

(ख): प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसे 1 दिसंबर, 2018 से देश भर में भूमिधारक किसान परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, कुछ बहिष्करण मानदंडों के अध्यधीनक्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित खर्चों की पूरा करने में सक्षम हो सकें। योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 2000/- रुपए की तीन 4-मासिक किस्तों में 6000रुपए/- प्रति वर्ष सीधे अंतरितकिए जाते हैं।

पीएम-किसान योजना के लाभार्थी, यदि वे अन्यथा पात्र हैं, तो उन्हें देश के किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार या राज्य / संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा लागू कोई अन्य योजना के लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ): पीएम-किसानयोजना एक सतत और चालू योजना है जिसके अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करने और उनके सही और सत्यापित डेटा को पीएम-किसानवेब पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्रसरकारों की है। पीएम-किसान वेब पोर्टल पर प्राप्त डेटा आधार/पीएफएमएस/आयकर जैसे सत्यापन और प्रमाणन के विभिन्न स्तरों से गुजरता है। इस तरह के सत्यापन के परिणामस्वरूप, योजना का लाभ लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से दिया जाता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत नामांकन के लिए किसान को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार केस्थानीय पटवारी/राजस्व अधिकारीतथानामितनोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करने की आवश्यकताहोती है। तथापि, योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र किसानों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त कदम भी उठाए गए हैं।

(i) राज्यों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के दायरे में पात्र लाभार्थियों को लाने के लिए जागरूकता अभियान और पंजीकरण शिविर आयोजित करने की सलाह दी गईहै।

(ii) पीएम-किसान पोर्टल में एक विशेष सुविधा, अर्थात "फार्मर्स कॉर्नर" उपलब्ध है, जिसके माध्यम से किसान अपने के पंजीकरण कोस्वयं संपादित कर सकते हैं।

(iii) पोर्टल में फार्मर्स कॉर्नर के माध्यम से अपने आधार डेटाबेस/कार्ड के अनुसार पीएम-किसान डेटाबेस में अपना नाम संपादित भी कर सकते हैं।

(iv) पोर्टल में फार्मर्स कॉर्नर के माध्यम से भी अपने भुगतान की स्थिति जान सकते हैं। लाभार्थियों का ग्रामवार विवरण भी फार्मर्स कॉर्नर पर उपलब्ध है।

(v) किसान, पीएम-किसान योजना के तहत खुद को नामांकित करने के लिए सीएससी के ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) से संपर्क कर सकते हैं। सीएससी के वीएलई के माध्यम से भी फार्मर्स कॉर्नर पर उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

(vi) मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जो पीएम-किसान पोर्टल पर फार्मर्स कॉर्नर पर उपलब्ध सुविधाएं भी प्रदान करता है।

*****